न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

GCMS id : 2021 /110

करण संख्या : 71 / 21

1. बन्नी बाई पत्नी हुकमा जाति गुर्जर निवासी ग्राम बंदा-धर्मपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा। — (प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा।
2. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री विद्याशंकर गोस्वामी, प्रार्थी अभिभाषक
श्री शंभूदयाल विजय, अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30.04.2026

1- प्रार्थी की ओर से मूल वाद के साथ जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान किये जाने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र (212 RTA) में निवेदन किया गया कि —

- ग्राम रथकांकरा, तहसील लाड़पुरा मे खसरा नम्बर 181 रकबा 0.49 हैक्टर आराजी स्थित है, जिस पर आज से लगभग 35 वर्षो से केशवदास पुत्र चौथमल का कब्जा था। भूमि केशवदास द्वारा दिनांक 01.12.2009 को जरिये इकरारनामा प्रार्थिया को विक्रय कर दिया, तभी से उक्त भूमि पर प्रार्थिया बहैसियत काबिज व मालिक चली आ रही है।
- अप्रार्थी क्रम–1 के अधीन राजस्व भूमि थी और तत्कालीन राजस्व अभिलेख मे सिवायचक दर्ज थी, किंतु वर्तमान मे नगर निगम एरिया मे आ चुकी है जो कि वार्ड क्रम–5 मे स्थित है और आवासीय क्षेत्र मे आ जाने से नियमानुसार हाल राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी क्रम–2 क`नाम दर्ज कर दी गई, जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी क्रम–2 प्रार्थिया को बिना सूचना पत्र दिये कानूनी कार्यवाही के बिना ही जबरन ताकत के बल पर अपने दलबल के मार्फत बेदखल करना चाहते है, जिसका उन्हे होई कानूनी अधिकार नही है।
- वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि पर लगभग 35 वर्षो से पूर्व मालिक केशवदास, तत्पश्चात प्रार्थिया का निरन्तर एवं अबाध रूप से कब्जा चला आ रहा है, जिससे प्रार्थिया को उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, तदनुसार प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी क्रम–1 के समक्ष विवादित भूमि की अपने–आपको खातेदार घोषित करने हेतु राजस्व रिकोर्ड मे खातेदार घोषित करने हेतु एवं राजस्व अभिलेख मे खातेदार घोषि करने हेतु कई बार निवेदन किया, किंतु अप्रार्थी क्रम–1 के द्वारा प्रार्थिया की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर उसकी कोई सुनवाई नही की गई।
- अतः प्रार्थिया का प्रथम दृष्ट्या केस है एवं सुविधा का संतुलपन भी प्रार्थिया के पक्ष मे है, यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्यों मे सफल हो गये तो प्रार्थिया को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही की जा सकती है।
- अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफेसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि से प्रार्थिया को न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना, अवैधानिक तरीके से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे और प्रार्थिया के स्वतंत्र कब्जे मे किसी भी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नही करे।

3- अप्रार्थी क्रम–2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न निवेदन किया गया, जो संक्षेप मे निम्नानुसार है–

- प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है, इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, प्रार्थी का भूमियों पर कोई कब्जा नही है, प्रार्थिया का भूमियों पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिपक्षीगण निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र 212 RTA के कथनों को दोहराते हुये अपनी बहस मे निवेदन किया गया जो संक्षेप मे इस प्रकार है–

- ग्राम रथकांकरा, तहसील लाड़पुरा मे खसरा नम्बर 181 रकबा 0.49 हैक्टर आराजी स्थित है, जिस पर आज से लगभग 35 वर्षो से केशवदास पुत्र चौथमल का कब्जा था। भूमि केशवदास द्वारा दिनांक 01.12.2009 को जरिये इकरारनामा प्रार्थिया को विक्रय कर दिया, तभी से उक्त भूमि पर प्रार्थिया बहैसियत काबिज व मालिक चली आ रही है।
- अप्रार्थी क्रम–1 के अधीन राजस्व भूमि थी और तत्कालीन राजस्व अभिलेख मे सिवायचक दर्ज थी, किंतु वर्तमान मे नगर निगम एरिया मे आ चुकी है जो कि वार्ड क्रम–5 मे स्थित है और आवासीय क्षेत्र मे आ जाने से नियमानुसार हाल राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी क्रम–2 क`नाम दर्ज कर दी गई, जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी क्रम–2 प्रार्थिया को बिना सूचना पत्र दिये कानूनी कार्यवाही के बिना ही जबरन ताकत के बल पर अपने दलबल के मार्फत बेदखल करना चाहते है, जिसका उन्हे होई कानूनी अधिकार नही है।
- वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि पर लगभग 35 वर्षो से पूर्व मालिक केशवदास, तत्पश्चात् प्रार्थिया का निरन्तर एवं अबाध रूप से कब्जा चला आ रहा है, जिससे प्रार्थिया को उक्त भमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, तद्नुसार प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी क्रम–1 के समक्ष विवादित भूमि की अपने–आपको खातेदार घोषित करने हेतु राजस्व रिकोर्ड मे खातेदार घोषित करने हेतु एवं राजस्व अभिलेख मे खातेदार घोषि करने हेतु कई बार निवेदन किया, किंतु अप्रार्थी क्रम–1 के द्वारा प्रार्थिया की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर उसकी कोई सुनवाई नही की गई।
- अतः प्रार्थिया का प्रथम दृष्ट्या केस है एवं सुविधा का संतुलपन भी प्रार्थिया के पक्ष मे है, यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्यों मे सफल हो गये तो प्रार्थिया को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही की जा सकती है।
- अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफेसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि से प्रार्थिया को न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना, अवैधानिक तरीके से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे और प्रार्थिया के स्वतंत्र कब्जे मे किसी भी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नही करे।

अप्रार्थी क्रम–2 द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रा0 पत्र के कथनों को दुहराते हुये निम्न निवेदन किया कि–

- प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है, इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, प्रार्थी का भूमियों पर कोई कब्जा नही है, प्रार्थिया का भूमियों पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिपक्षीगण निरस्त फरमाया जावे।
- अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिपक्षीगण निरस्त फरमाया जावे।

5- हमने अभिभाषक की बहस के कथनों पर मनन किया और नियमों, अधिनियमों, परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि–

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है।

इनमे से किसी एक का भी आभाव होने पर न्यायालय व्यादेश नहीं देगा।

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

प्रस्तुत प्रकरण मे हम पाते है कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद मे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है जो कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण के मूल वाद मे तनकीयात

30/4/26

एवं साक्ष्य के उपरांत मूल वाद मे तय किया जाना है। अतः यह मामला पृथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष मे नही है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना, बताना पडेगा।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ग्राम रथकांकरा तहसील लाड़पुरा खसरा 181 रकबा 0.49 हैक्टर आराजी को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है, पंरतु उक्त आराजी वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम–2, कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज रिकोर्ड है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते के कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगा।

प्रार्थी ग्राम रथकांकरा तहसील लाड़पुरा खसरा 181 रकबा 0.49 हैक्टर आराजी को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है, पंरतु उक्त आराजी वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम–2, कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज रिकोर्ड है। अतः प्रार्थी अपूरणीय क्षति होना संभावित नही है।

6- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत्–2077 के अनुसार ग्राम रथकांकरा खसरा नम्बर 181 रकबा 0.49 अप्रार्थी–2 के रूप मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के मूल वाद मे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की घोषणा चाही गई है, जो कि साक्ष्य एवं तनकीयात के तय किये जाने के उपरांत मूल वाद का निस्तारण किया जाना है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र 212 अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

7- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30 अप्रेल 2026 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/26

(श्रीमती [illegible])
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) कोटा